डिक्री 41/2018 लीला बनाम नारायण

13/4/2018

वकील उभयपक्ष उपस्थित। संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्टस द्वारा एक अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ़ प्रकरण संख्या 17/2018 निर्णय दिनांक 02/02/2018 अनुवानी नारायण बनाम सीताराम वगैरह पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्टस पक्षकार नही होने के कारण धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे उल्लेख किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादी द्वारा अपीलान्ट को जानबुझकर पक्षकार नही बनाया गया जबकि अपीलान्ट मृतक रामा पिता कजोड वैधानिक उत्तराधिकारी है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसमे उनका मुख्य कथन यह है कि प्रार्थिया लीला गांव सेमलपुरा की है तथा श्री शंकरलाल उर्फ रामलाल पिता किशनलाल शर्मा ब्राह्म्ण की पुत्री है। काफी समय पूर्व लीलाबाई का विवाह बिलाडा जोधपुर के आस–पास ब्राह्म्ण (गौतम) परिवार मे हुआ था। लीला की माता गोपीबाई भी ससुराल सेमलपुरा मे पारिवारिक अनबन एवं झगडा होने से अपनी पुत्री लीला के पास ही निवास करती थी जिनका रामाजी पिता कजोडजी धाकड से दुर–दुर तक कोई रिश्ता नही है। किसी भी रूप मे तहसीलदार बिलाडा की रिपोर्ट स्वीकार योग्य नही है। ऐसी सूरत मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारीज करते हुए अपील इसी स्टेज पर खारीज की जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट/प्रार्थिया का कथन है कि कजोड के दो पुत्र रामा तथा गोकुल थे। रामा को लाऔलाद फौत होना बताया है जबकि वास्तव मे उसके एक पत्नि एवं एक पुत्री है। इस सम्बन्ध मे उनके द्वारा श्री रामलाल पुत्र कजोड का परिवार कार्ड संख्या 5043 जो वर्ष 2006 मे जारी हुआ है कि प्रति पेश की गई

जिसमे गोपीदेवी का नाम उल्लेखित है परन्तु लीलाबाई का नाम नही है। इसके अलावा श्री रामलाल का मृत्यु प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार मृत्यु दिनांक 02/07/2014 है। तहसीलदार बिलाडा द्वारा तहसीलदार भू–अभिलेख चित्तौडगढ को भिजवाई गई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस प्रकार अपीलान्टस श्री रामलाल उर्फ रामा के वारिस होने कारण धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे अग्रिम कार्यवाही की जावे।

दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है कि श्री रामा 50 वर्ष पूर्व घर छोडकर चला गया तथा कुंवाराजी बैरागी बन गया। वह हाथियो की जमात मे घुमता था जिसको काफी लम्बे समय से किसी ने नही देखा। अपीलान्ट/प्रार्थिया रामा की पुत्री नही है वरन् शंकरलाल उर्फ रामलाल पिता किशन ब्राह्म्ण ग्राम सेमलपुरा की पुत्री है। गोपीदेवी शंकरलाल ब्राह्म्ण की पत्नि है। पति से झगडा हो जाने के कारण वह जोधपुर साईड जाकर अपनी पुत्री के साथ रहने लग गई है। कजोड एवं गोकुल दोनो का क्रियाक्रम नारायण द्वारा किया गया तथा उसकी पगडी भी नारायण के बांधी गई। भूमि हडपने की मंशा से भू–माफियाओ की शह पर यह अपील पेश की गई है जो सारहीन है। अपीलान्टस/प्रार्थिया किसी भी सूरत मे रामा के वारिसान नही है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारीज करते हुए अपील खारीज की जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि 2006 मे रामा का जो राशनकार्ड बनाया गया है उसमे उम्र 60 वर्ष दर्शाई गई है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लीला पत्नि रमेश गौतम का राशनकार्ड प्रस्तुत किया है जिसमे उसका बिलाडा रहना सिद्ध पाया जाता है। जिससे स्पष्ट है कि लीला जो कि श्री शंकरलाल ब्राह्म्ण की पुत्री है बिलाडा मे रहती है एवं उसकी माता गोपी जो कि शंकरलाल की पत्नि है वह भी अपनी पुत्री के साथ रहने लगी है। श्री रामा के राशनकार्ड मे कोई जाति उल्लेखित नही है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र मे भी कही जाति का उल्लेख नही है जिससे

सिद्ध होता है कि श्रीमती लीला एवं श्रीमती गोपीबाई रामा के वारिसान नही है। ऐसी सूरत मे अपीलान्टस/प्रार्थिया द्वारा धारा 96 सीपीसी मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है। फलतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारीज किया जाता है जिसके फलस्वरूप प्रस्तुत अपील स्वतः ही खारीज हो जाती है। निर्णय सरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्र सिंह राव)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ़